



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 जयेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 270 राँची, गुरुवार,

18 जून, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

18 जून, 2020

संख्या-परि०आ० (कर माफी)-120/2020-1573 -- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश सं०-98/HSN दिनांक-22.03.2020 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं०-40-3/2020- DMI(A), Dated-24.03.2020 के द्वारा झारखण्ड राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पूर्णतया लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया गया है ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-11012/02/2019-MVL(pt-8) दिनांक-30.03.2020 के द्वारा कोरोना महामारी से जनित विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 से संबंधित कागजातों की वैद्यता दिनांक-30.06.2020 तक विस्तारित की गई है ।

उक्त के आलोक में कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की

धारा-15 (1)-सहपठित-धारा-23 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 2001 के नियम-4(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत वैसे वाहन जिनका पथकर दिनांक-24.03.2020 से देय है अथवा जिनका अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिनांक-24.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो रही है, उनके लिए दिनांक-24.03.2020 से या उसके बाद देय कर हेतु अनुग्रह अवधि (Grace Period) का विस्तार दिनांक-30.06.2020 तक किया जाता है ।

अनुग्रह अवधि की निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक-30.06.2020 के पश्चात् झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 2001 के नियम-4(2) के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग ।
